THE MINISTER OF TEXTILES AND THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes.

(b) and (c) The Commissioner, Food and Drugs Administration, Maharashtra took steps to stop further production and distribution of all blood products by the firm and to recall from the market all the stocks of anti-D immunoglobulin injections.

The Drug Controller of Delhi took action to freeze stocks of batch No. 6/88 of anti-D immunglobulin injections.

Particulars of the distribution of batch no. 6/88 were given to the State Drug Controllers and they were requested to steps to freeze the stocks and also to ensure withdrawal of stocks from Government Hospitals and nursing homes.

**औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास व्यय**

@3222-डॉ. श्री राम सरेश यादव :
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 दिसम्बर, 1988 के टाइम्स आफ इंडिया में "आर एन डी एक्सपेंडिचर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर नाट एनकरेजिंग फिक्की" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर जो धनराशि खर्च की जा रही है उसका अधिक भाग सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश के सरकारी उद्योगों का हिस्सा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक है ; और

(घ) क्या उक्त समाचार में कोई सुझाव भी दिए गए हैं, यदि हां, तो क्या सरकार दिए गए सुझावों के अनुरूप एक योजना तैयार करने की विचार रखती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में अनुसंधान व विकास व्यय का पर्याप्त भाग (लगभग 80%) सरकार द्वारा अपने प्रमुख अनुसंधान अभिकरणों के अंतर्गत प्रयोगशालाओं की श्रंखलाओं के माध्यम से व्यय किया जाता है। स्वयं उद्योग (इण्डस्ट्री) द्वारा उद्योग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर उद्योगों में अनुसंधान व विकास इकाइयों की स्वीकृति के लिए योजना है। वर्ष 1987–88 में अपने यहां (इन हाउस) 1000 अनुसंधान व विकास इकाइयों में 600 करोड़ रुपए का अनुमानित किया व्यय जो राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास व्यय का लगभग 20% था। सरकारी संयुक्त क्षेत्रों की लगभग 100 स्वीकृत घरेलू (इन हाउस) अनुसंधान व विकास इकाइयों ने 240 करोड़ रुपए व्यय किए, 900 गैर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया गया व्यय 360 करोड़ रुपए था। वर्ष 1984–85 में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का हिस्सा 61% था तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का हिस्सा लगभग 30% था।

(घ) फिक्की रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए थे जिनमें अनुसंधान संस्थानों

@ तारांकित प्रश्न संख्या 2991 27 मार्च, 1989 को से स्थानान्तरित

तथा उद्योग के बीच परस्पर क्रिया प्रशिक्षण सुविधाओं तथा आवश्यकताओं के बीच विद्यमान प्रौद्योगिकी अन्तरालों के विस्तार के लिए उद्योग सरकार सहयोग, अनुसंधान व विकास प्रौद्योगिकियों व प्रौद्योगिकी आयात की प्रसिद्धि आदि शामिल है । इसके अतिरिक्त सरकार उद्योग में इन हाउस अनुसंधान व विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन, देश की प्रमुख अनुसंधान व विकास इकाइयों के प्रधानों के साथ चर्चाएं व चुनिंदा उद्योगों पर उनकी प्रौद्योगिक स्थिति पर चर्चा सहित कार्यशालाओं जैसे विभिन्न माध्यमों से उद्योगों के साथ परस्पर क्रिया करती थी । नए प्रस्तावों तथा उद्योगों में अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने वाले उपायों का निर्धारण करते समय इन सभी माध्यमों से प्राप्त निवेशों को ध्यान में रखा जाता है ।

**समयोपरि भत्ते और रात्रि ड्यूटी भत्ता को शासित करने वाले नियम**

†3222-ग. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते और रात्रि ड्यूटी भत्ते को शासित करने वाले नियम क्या हैं ;

(ख) क्या रात्रि ड्यूटी भत्ता समयोपरि भत्ता योजना का ही एक हिस्सा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) से (ग) समयोपरि भत्ता कार्य के सामान्य घंटों के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए, जबकि सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण प्रतिपूरक छुट्टी न दी जा सकती हो, नकद प्रतिपूर्ति के रूप में होता है ।

रात्रि ड्यूटी अथवा उसके बदले में नकद प्रतिपूर्ति (रात्रि ड्यूटी भत्ता) के लिए तभी मंजूरी दी जाती है जब रात्रि की सामान्य ड्यूटी से संबंधित कार्य को बिना किसी निष्क्रियता अथवा आराम के पर्याप्त अन्तराल के बिना ही लगातार काम करने की आवश्यकता हो । रात्रि ड्यूटी भत्ता उस स्थिति में अनुज्ञेय नहीं होता जहां रात्रि ड्यूटी होने को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक कार्य के घंटे कम रखे गए हैं ।

इस प्रकार, समयोपरि भत्ता तथा रात्रि ड्यूटी भत्ता अलग-अलग प्रयोजनों के लिए हैं । समयोपरि भत्ते तथा रात्रि ड्यूटी भत्ते की मंजूरी से संबंधित उपबन्ध कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होते हैं ।

**रेल और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक भाषा के रूप में हिन्दी**

††3222-घ. **श्री शरद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जो क्रमशः रेलवे अप्रेन्टिसिस आल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन फोरेस्ट सर्विस परीक्षा आयोजित करते हैं हिन्दी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऊपर लिखित परीक्षाओं के लिए हिन्दी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार न करने और न अपनाए जाने के क्या कारण हैं ; और

†पूर्वतः अतारांकित प्रश्न संख्या – 3623-ग, 30 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित ।

††पूर्वतः अतारांकित प्रश्न संख्या 3579, 30 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित ।